



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : 3969

—अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-II ई०-16

दिनांक: 22/08/2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में माह 07/2026 से माह 06/2027 तक की अवधि में 60 वर्ष की निवर्तनवय प्राप्त करने पर कारपोरेशन में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 पर अंकित तिथि को कॉरपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री आर० दत्त शर्मा, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	उप महाप्रबन्धक (सा०प्र०), देहरादून।	01.02.1967	31.01.2027
2	श्री गंगा सिंह ल्वाल, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र देहरादून।	01.03.1967	28.02.2027

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कर्मचारी को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि की अपराह्न तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। यह भी आदेशित किया जाता है कि कर्मचारियों की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व कॉरपोरेशन सेवा में सेवारत रहते हुए उनके पेंशन-प्रलेखों की तैयारी के लिए उनकी अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायाधिक/प्रशासनिक जांच, यदि कोई लम्बित हो, पूरी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कर ली जाय। सम्बन्धित परिषदीय/कॉरपोरेशन कर्मचारी यदि विभाग के आवासीय भवन में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद विभागीय आवास को खाली कर दे तथा उसके समस्त देयकों का तत्काल कारपोरेशन को भुगतान कर दे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कर्मचारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों को पेंशन प्रपत्र ससमय अपने माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित कर्मचारियों का भी दायित्व होगा कि वे अपने पेंशन-प्रपत्रों को अपनी सेवानिवृत्ति के निर्धारित समयानुसार कारपोरेशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि निर्धारित समयवधि तक प्रपत्रों को पेंशन स्वीकृति हेतु निदेशक (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

अधिशाली निदेशक (मा०सं०)

संख्या- 3969 —अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-II ई०/16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्र००वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, अधिशाली निदेशक, उपाकालि, वि०क्र००वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त निदेशक, उ०पा०का०लि०, वि०क्र००वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(वितरण)/महाप्रबन्ध (वित्त) उपाकालि,
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,
6. सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, उपाकालि,
7. अधिशाली अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्र००वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. अनुशासनात्मक-कार्यवाही अनुभाग/सूचना सेल, उपाकालि, वि०क्र००वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. सम्बन्धित कर्मिक/वैयक्तिक पंजिका/कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(जितेन्द्र सिंह)

उप महाप्रबन्धक (मा०सं०)